न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 49/2023 जिला अलवर

1. प्रकाश पुत्र श्री नारया जाति गुर्जर निवासी माजरा रावत तहसील बानसूर जिला अलवर, राजस्थान।
2. जगराम पुत्र श्री बहादुर, जाति गुर्जर निवासी माजरा रावत तहसील बानसूर जिला अलवर, राजस्थान।

—अपीलान्टगण

बनाम

1. सत्यवीर पुत्र श्री यादराम जाति अहीर निवासी खेडकी तहसील बहरोड, जिला अलवर, राजस्थान।
2. तहसीलदार तहसील बानसूर जिला अलवर, राजस्थान।

—रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर जिनके द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 31/2023 बअनुवान सत्यवीर बनाम तहसीलदार बानसूर में पारित दिनांक 07.06.2023 बिना प्रक्रिया अपनायें प्रथम तारीख पेशी पर ही आदेश पारित किया बमुराद निरस्त फरमाये जाने आदेश व स्वीकार किये जाने अपील अपीलान्ट

उपस्थित–

1. श्री ऋतुराज सोनी, वकील अपीलान्ट
2. श्री विजय कुमार शर्मा, वकील रेस्पोंडेन्ट सं. 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक –23.08.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 07.06.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 28.06.2023 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर के समक्ष दिनांक 01.06.2023 को प्रार्थना पेश किया कथन किया कि हाल खसरा नम्बर 504 रकबा 10.890 हैक्टेयर वाके मौजा माजरा रावत तह0 बानसूर जिला अलवर राज0 में स्थित है। जो प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिसका विधिवत सीमाज्ञान तहसीलदार बानसूर के आदेशानुसार दिनांक 15.05.2023 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर किया गया था लेकिन मौके पर पत्थरगढी नहीं की गई थी। अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी की हाल खसरा नं0 504 रकबा 10.890 हैक्टे0 वाके मौजा माजरा रावत तह0 बानसूर जिला अलवर राज0 की मुताबिक पैमाईश दिनांक 15.05.2023 के वक्त आराजी के पत्थरगढी करवायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2023 द्वारा आदेश दिये गये कि प्रकरण दर्ज पंजिका हो। मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार बानसूर को अहकाम जारी हो। तहसीलदार खालसौट को आदेश दिये गये कि मुताबिक पैमाईश मौका पर्चा दिनांक 21.05.2023 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 504 रकबा 10.89 हैक्टे0 वाके मौजा माजरा रावत की मौके पर जाकर पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

आगामी तारीख पेशी 12.07.2023 से पूर्व इस न्यायालय में भिजवाने के आदेश पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 07.06.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री प्रकाश पुत्र नारया एंव जगरराम पुत्र श्री बहादुर द्वारा यह अपील 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर दिनांक 07.06.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पॉडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्याायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर के समक्ष दिनांक 01.06.2023 को प्रार्थना पेश कर दिनांक 02.06.2023 को वास्ते कार्यालय रिपोर्ट हेतु नियत की तथा दिनांक 07.06.2023 को अहकाम जारी करने की नियत की, के अनुसार रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि " आराजी ख.नं. 504 रकबा 10.89 हैक्टेयर ग्राम माजरा रावत तहसील बानसूर में स्थित है, जो प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी है, जिसका विधिवत सीमाज्ञान तहसीलदार बानसूर के आदेशानुसार दिनांक 15.05.2023 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर किया गया था लेकिन मौके पर पत्थरगढी नहीं की गई थी " जिस पर तहत न्यायालय ने बिना अहकाम नं. 2 को जारी किये, बिना सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 07.06.2023 को ही मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट पत्थरगढी करने हेतु आदेश दिये, प्रार्थी/अपीलान्टस् अन्य सहकाश्तकारान के साथ आराजी ख0नं0 480 रकबा 02.60 हैक्टेयर वाकै माजरा रावत तहसील बानसूर का खातेदार अभिधारी है, जो रेस्पोडेन्ट नं0 1 व अन्य सह काश्तकारान के साथ आराजी ख0नं0 504 रकबा 10.89 हैक्टेयर के 1/4 भाग का खातेदार अभिधारी है, यह अपीलान्टस के आराजी ख0नं0 480 के बतरफ पूर्व से लगती हुई है, मौके पर दोनों कृषि भूमियों के मध्य अर्सा दर्राज से पुख्ता डौल बन्दी है, आज दिन तक अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नं0 1 के बिना किसी विवाद के तहत न्यायालय से दिनांक 07.06.2023 को पत्थरगढी के आदेश लेकर मिन अपीलान्ट को या अन्य किसी पडौसी खसरा के काश्तकारों को सूचना दिलवाये आदेश प्राप्त कर मिन अपीलान्ट की कृषि भूमि में नाजायज रूप से कब्जा करने पर उतारू हैं। तहत न्यायालय ने अपनी विवेकिय शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अप्रार्थी तहसीलदार बानसूर ने बिना नोटिस की सूचना के बिना सुनवाई का अवसर दिये पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये हैं, जो कि प्रक्रियात्मक दृष्टि से विधिक रूप से काबिल अपास्त है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 बिना मिन अपीलान्टस को पक्षकार बनाये तथा बिना तलबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के व बिना किसी पक्ष प्रस्तुती के अपीलान्ट की कृषि भूमि खसरा नम्बर 480 में राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर सीमांकन करवाकर पत्थरगढी करवाने की जूस्तजू में है, यदि मिन अपीलान्ट के खेत ख0नं0 480 में पत्थरगढी कर दी जावेगी, तो मिन अपीलान्ट को अनहद क्षति होगी, तथा वाद बाहुल्य बढेंगें, इसलिये आदेश तहत अदालत दिनांक 07.06.2023 काबिल अपास्त है। आज दिन तक रेस्पोडेन्ट नं. 1 के खसरा नम्बर 504 व अपीलान्टस के खेत खसरा नम्बर 480 ग्राम माजरा रावत तहसील बानसूर के सीमा के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिये भी आदेश तहत न्यायालय काबिल अपास्त है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने गॉव के व्यक्तियों से कहा कि अब मेरे खेत खसरा नम्बर 504 के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय से आदेश प्राप्त कर लिये है और मिन अपीलान्टस् के खेत खसरा नम्बर 480 में भी सीमांकन हेतु बिन्ड लगवाकर रहूँगा, ऐसी सूरत में बिना हमें सुने सीमांकन कर लिया जावेगा तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवेहलना

होगी। कानूनन प्रार्थना 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रस्तुत करने के लिए भूमि के पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है जिस कारण योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पडौसी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनवाये बिना मौके के विपरीत रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर दिनांक 07.06.2023 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर के समक्ष दिनांक 01.06.2023 को प्रार्थना पेश किया कथन किया कि हाल खसरा नम्बर 504 रकबा 10.890 हैक्टेयर वाके मौजा माजरा रावत तह0 बानसूर जिला अलवर राज0 में स्थित है। जो प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिसका विधिवत सीमाज्ञान तहसीलदार बानसूर के आदेशानुसार दिनांक 15.05.2023 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर किया गया था लेकिन मौके पर पत्थरगढी नहीं की गई थी। अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी की हाल खसरा नं0 504 रकबा 10.8900 हैक्टे0 वाके मौजा माजरा रावत तह0 बानसूर जिला अलवर राज0 की मुताबिक पैमाईश दिनांक 15.05.2023 के उक्त आराजी के पत्थरगढी करवायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2023 द्वारा आदेश दिये गये कि प्रकरण दर्ज पंजिका हो। मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार बानसूर को अहकाम जारी हो। तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये गये कि मुताबिक पैमाईश मौका पर्चा दिनांक 21.05.2023 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 504 रकबा 10.89 हैक्ट0 वाके मौजा माजरा रावत की मौके पर जाकर पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट आगामी तारीख पेशी 12.07.2023 से पूर्व इस न्यायालय में भिजवाने के आदेश पारित किये गये। सीमाज्ञान में क्या समस्या है ? मेरी जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। केवल खसरा की सीमा तय हो रही है, अधिकार तय नहीं हो रही है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है, तो हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। दोनों ही पक्षों के मौजूदगी में सीमाज्ञान व पत्थरगढी किया जावे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

7. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 2 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की पैमाईश मौका पर्चा दिनांक 21.05.2023 अनुसार ही खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु आदेश दिया गया है जिसमें अन्य किसी सहखातेदरान् को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट में पडौसी खातेदार अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहत न्यायालय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अलवर

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा एकतरफा में रेस्पोडेन्ट के कथन को सही मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारीत किया गया है। रेस्पोडेन्ट की आराजी से लगती हुई अपीलान्ट की आराजी खसरा नं. 480 स्थित है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है।

अतः—अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी, बानसूर जिला अलवर दिनांक 07.06.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उन्हें प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/8/23

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर